न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 07/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मांगीदेवी पत्नी लूम्बाराम 2. गजरो पत्नी नवा निवासीगण–देवडा का गोलिया, तहसील बागोडा जिला जालोर।		1. राज्य जरिये तहसीलदार, बागोडा, जिला जालोर। 2. सरपंच ग्राम पंचायत मोरसीम, तहसील बागोडा, जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी बागोडा के द्वारा मुकदमा संख्या 59/2021 सरकार बनाम राजस्व ग्राम देवदा का गोलिया में दिनांक 16.11.2021 को पारित किया गया।

उपस्थितीः—

1. श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 18 जनवरी, 2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा के द्वारा मुकदमा संख्या 59/2021 सरकार बनाम राजस्व ग्राम देवदा का गोलिया में दिनांक 16.11.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 14.01.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत यह प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम देवदा का गोलिया के ख0सं0 259, 273, 269, 268, 342 में चल रहे आवागमन हेतु चालू हालत रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त खसरान के खातेदारों की सहमति लिये बिना ही ख0सं0 273 में 0.05 है0, ख0सं0 271 में 0.09 है तथा ख0सं0 269 में से 0.03 हैक्टर, ख0सं0 268 में 0.03 हैक्टर भूमि रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश दिनांक 16.11.

28/1/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

2021 को पारित किया गया जिससे अपीलान्ट्स व्यथित पक्षकार होने से यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 131, 132, 136 के तहत आलौच्य आदेश पारित किया है वो प्रावधानों के विपरित पारित किया गया है। राजस्व रेकर्ड में किसी तरह की हुई लिपिकिय त्रुटि को ही इन नियमों के तहत शुद्ध करने का प्रावधान है जबकि उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद होने के कारण रेकर्ड को बिना किसी आधार पर बदला नहीं जा सकता था। अपीलार्थीगण के उक्त खसरान भूमि में से वर्तमान में कोई रास्ता नहीं चल रहा था, इसलिये नये रास्ते का आदेश नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसे में अपीलाधीन आदेश जो कि अपीलान्ट्स/खसरान के खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं उनका पक्ष जाने बिना ही पारित किया गया है जो प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2021 को निरस्त किया जावें।

5. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित राजस्व ग्राम देवदा का गोलिया के उपरोक्त खसरान के खातेदारों की सहमति लिये बिना ही ख0सं0 273 में से 0.05 है0, ख0स0 271 में से 0.09 है तथा ख0सं0 269 में से 0.03 हैक्टर, ख0सं0 268 में से 0.03 हैक्टर भूमि रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश दिनांक 16.11.2021 को पारित किया है जिसमें अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है जिससे अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है।

सत्यमेव जयते
डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

28/11/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

6. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है।

7. इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की अंकित खसरान भूमि के सम्बन्ध में मौके की रिपोर्ट की उपस्थिति में तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बागोडा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बागोडा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलार्थी की रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी,2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/1/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर